डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक,

कुलसचिव
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति/अध्यक्ष
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

2. निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. समस्त विभागाध्यक्षगण
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

4. विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

5. कुलसचिव/सदस्य सचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

6. डॉ0 संजीव गुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

7. श्री आशीष कुमार गुप्ता
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक :535/फा0सं–568/डीएसएमएनआरयू/वि0परि0/षष्ठम् बैठक/2018–19 दिनांक: 02.07.2018

विषयः–डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की षष्ठम् बैठक दिनाँक 28.06.2018 के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की षष्ठम् बैठक दिनांक 28.06.2018 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ

के विद्या परिषद की

छठवीं बैठक दिनाँकः 28 जून, 2018 का कार्यवृत्त

समय –	सायं: 04:00 बजे
स्थान –	पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की 06 वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/6	विद्या परिषद की पंचम–बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/6	विद्या परिषद की पंचम–बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– क) मा0 विद्या परिषद उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुयी। ख) मा0 विद्या परिषद द्वारा यह अपेक्षा की गई कि जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही अवशेष/वांछित है, उन बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण करके आगामी बैठक में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाए।
3/6	शैक्षिक सत्र 2018–19 में विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रकिया/एकेडमिक केलेण्डर/शुल्क निर्धारण तथा आरक्षण प्रकिया के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– क) मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक रूप से विचार–विमर्श कर प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। ख) मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शुल्क विवरण में कॉशनमनी को पृथक रूप से अंकित किया जाए क्योंकि यह प्रतिभूति धनराशि (वापसी योग्य) है न कि शुल्क।
4/6	अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत संचालित पाँच विभागों यथा सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के संचालन के सम्बन्ध में चर्चा।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)

(Pravir Kumar)

निर्णयः— मा0 विद्या परिषद द्वारा—

1) अधिष्ठाता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रो0 सी0के0 दीक्षित की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं का संज्ञान लिया गया —

(क) विश्वविद्यालय के एमेनिटीज ब्लॉक–2 निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विगत लगभग 04 वर्ष से अप्रयुक्त स्थिति में है तथा निकट भविष्य में वहाँ कोई कार्यकलाप प्रस्तावित भी नहीं है। अतः यदि यह भवन विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु उपलब्ध करा दिया जाता है तो इस भवन में सभी सम्बन्धित विभागों, अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं व अन्य सुविधाओं आदि की स्थापना हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निर्माण भी किया जा सकता है।

(ख) विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत 05 संगत विभागों यथा–सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बी.टेक पाठ्यक्रमों का संचालन विगत दो वर्ष से किया जा रहा है तथा वर्तमान में इन विभागों में लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। अतः यदि इन पाठ्यक्रमों का आगे संचालन नहीं किया जाता है, तो इन सभी विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा तथा विश्वविद्यालय की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) जब तक विश्वविद्यालय में इन विभागों की प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं होता, तब तक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ एम.ओ.यू. करके आई.ई.टी. लखनऊ में विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जा सकती है। यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकार के कई अन्य दृष्टांत भी हैं– उदाहरणार्थ, आई. आई.टी., कानपुर की प्रयोगशालाओं की स्थापना होने तक विद्यार्थियों के उपयोगार्थ एच.बी.टी.आई., कानपुर की प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की गयी थी।

(घ) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत उपर्युक्त विभागों/शाखाओं में अध्यापन कार्य हेतु आवश्यक अध्यापकों की नियमित नियुक्ति होने तक संविदा आधारित अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जा सकता है तथा इस हेतु स्ववित्तपोषित बी.टेक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। अतः इन कार्यक्रमों के सततीकरण की दशा में शासन पर कोई अतिरिक्त व्ययभार आना संभावित नहीं है। भविष्य में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति होने पर व्ययभार में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत इन स्ववित्तपोषित बी.टेक कार्यक्रमों की फीस में चरणबद्ध ढंग से वृद्धि किया जाना आवश्यक होगा।

2) मा0 विद्या परिषद द्वारा वर्णित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के विकास एवं छात्रों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए स्ववित्तपोषित बी.टेक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत 05 संगत विभागों यथा–सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सततीकरण/संचालन किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत समस्त विभागों को विश्वविद्यालय में अवस्थापना सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं को मानकानुसार पूर्ण करते हुए एमिनिटीज ब्लॉक–2 में संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

4) मा0 विद्या परिषद द्वारा बी.टेक पाठ्यक्रम की शुल्क वृद्धि पर सम्यक विचारोपरान्त मत व्यक्त किया गया कि इन पाठ्यक्रमों हेतु अन्य विश्वविद्यालयों में लगभग रू. 1.50 लाख फीस ली जाती है तथा आवश्यक खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान में ली जा रही फीस अपर्याप्त है। परन्तु यदि इन कार्यक्रमों की फीस यकायक बढ़ा दी जाती है, तो इससे अभिभावकों पर व्ययभार बहुत बढ़ जाएगा जिसके फलस्वरूप न केवल छात्रों की शिक्षा अवरूद्ध होगी बल्कि उनमें असंतोष भी व्याप्त होगा। अतः सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि बी.टेक पाठ्यक्रमों के शुल्क में एक साथ वृद्धि न करके इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाए। तदनुसार मा0 विद्या परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)

2018–19 हेतु बी.टेक पाठ्यक्रमों की फीस रू. 75505/– के स्थान पर 86005/– (प्रथम वर्ष में कॉशनमनी धनराशि रू. 6000/– वापसी योग्य अतिरिक्त) किए जाने हेतु संस्तुति की गयी, जो कि यू. जी.सी. द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत वृद्धि की सीमा के अन्दर है।

5) मा0 विद्या परिषद द्वारा बी.टेक पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला संबंधित समस्याओं के दृष्टिगत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकायान्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रयोगात्मक कार्य हेतु डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से एम.ओ.यू. सम्पादन हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए। तत्क्रम में आई.ई.टी., लखनऊ से भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए।

6) मा0 विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि एमिनिटीज ब्लॉक–2 का नामकरण "अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान" कर दिया जाए।

7) विश्वविद्यालय में चिकित्सा संबंधी पाठ्यक्रमों के प्रयोगात्मक पठन–पाठन कार्य के लिए यदि चिकित्सालय सुविधाओं की आवश्यकता हो तो इस हेतु मा0 विद्या परिषद द्वारा के.जी.एम.यू. लखनऊ से एम.ओ.यू. किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

5/6 M.Sc.(Agronomy, Agriculture Chemistry & Soil Science एवं Horticulture) पाठ्यक्रम हेतु आंतरिक/प्रायोगिक एवं थ्योरी अंको के वितरण के सम्बन्ध में।

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि:

1) एम.एस.सी. (एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर केमेस्ट्री एण्ड सॉयल साइन्स तथा हार्टिकल्चर) पाठ्यक्रम हेतु निम्नानुसार अंक वितरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया :

मिड सेमेस्टर टेस्ट अंक	असाइनमेंट/प्रजेन्टेशन अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा के अंक	कुल अंक
20	10	20	50	100

2) मा0 विद्या परिषद द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों में निम्नानुसार अंक वितरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया :

(अ)

सामान्य पाठयक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा न हो अथवा वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक कार्य हेतु प्रश्नपत्र अलग से हों			
मिड सेमेस्टर टेस्ट	असाइनमेंट/प्रजेन्टेशन	अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा	कुल अंक
20	10	70	100

(ब)

अन्य पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक कार्य हो परन्तु इस हेतु अलग प्रश्नपत्र न हों				
मिड सेमेस्टर टेस्ट अंक	असाइनमेंट/प्रजेन्टेशन अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	अन्तिम सेमेस्टर परीक्षा के अंक	कुल अंक
20	10	20	50	100

6/6 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1. विश्वविद्यालय की सेन्ट्रल लायब्रेरी को अद्यतन करने हेतु सॉफ्टवेयर स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।

	निर्णयः— मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि प्रदेश एवं देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, डॉ0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ आदि द्वारा पुस्तकालय संचालन हेतु लिब्सिस (LIBSYS) साफ्टवेयर का ही प्रयोग किया जा रहा है तथा आधुनिक ढंग से पुस्तकालयों के संचालन हेतु वर्तमान में यह सबसे अधिक उपयुक्त साफ्टवेयर है। अतः सम्यक विचारोपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित केन्द्रीय/विभागीय पुस्तकालय को अद्यतन करने हेतु लिब्सिस साफ्टवेयर को क्रय करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में मा0 विद्या परिषद की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow